Statement

Periodicity of National STD Pulses in Seconds Per Unit

Radial distance between any two Long distance charging centres/ short distance charging centres in Kms)	Full Rate	Concessional Rate					
	Week days	Week Days			National Holidays & Sundays		
	0800 hrs to 1900 hrs	0700 hrs to 0800 hrs and 1900 hrs to 2030 hrs	0600 hrs to 0700 hrs and 2030 hrs to 2300 hrs	2300 hrs to 2400 hrs and 0000 hrs to 0600 hrs	0700 hrs to 2030 hrs and	0600 hrs to 0700 hrs and 2030 hrs to 2300 hrs	2300 hrs to 2400 hrs and 0000 hrs to 0600 hrs
0—20	180	180	180	180	180	180	180
20—35	90	90	90	90	90	90	90
35—50	36	48	48	48	48	48	48
50—100	12	24	36	48	24	36	48
100—200	8	16	24	36	16	24	36
200—500	4	8	12	16	8	12	16
500—1000	3	6	9	12	6	9	12
Above 1000	2	4	6	8	4	6	8

Framework for Funding Private Sector Telecom Projects by Financial Institutions

446. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Telecom Commission has been working out with financial institutions a framework for assigning licences for basic telecom and cellular services, which will help funding the private sector telecom project by them; and

(b) if so, by when this is likely to be finalised?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) and (b) Yes, Sir in respect of Basi Telephone Service. The final view is expected at the earliest.

Constitution of Committee for Allotment of STD/ISD PCO Booths in Punjab and Maharashtra

447. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Committees for allotment of STD/ISD/PCO Telecom Counter (Booths) have been appointed in Maharashtra and Punjab;

(b) if so, the powers and functions of these Committees;

(c) the duration and terms of these committees; and

(d) the steps being taken to see that STD etc. booths are allotted early?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Yes, Sir.

(b) The Powers and functions of the Committee is to scrutinise the applications received for STD PCOs and select bonafide and eligible persons for allotment of STD PCOs as per the rule on the Subject.

(c) The tenure of the STD PCO allotment Committees is 2 years. The committees wil conduct their business as per the rules on allotment of STD PCOs.

(c) The committees have been reconstituted recently. Regular meetings will be conducted to allot the STD PCOs as per rules.

टेलीफोन खराब होने की शिकायत-प्राप्ति के बाद दो दिनों में टेलीफोन ठीक किया जाना

448. श्री शिव चरण सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार टेलीफोन खराब होने के संबंध में शिकायत-प्राप्ति के बाद दो दिनों के भीतर टेलीफोन ठीक कर दिये जाने चाहियें और यदि एक सप्ताह में खराबी ठीक नहीं की जाती है तो उपभोक्ता से टेलीफोन खराब रहने की ऐसी अवधि का किराया वसूल नहीं किया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1996 से जनवरी, 1997 की अवधि के दौरान दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन I और II में एक सप्ताह से अधिक समय तक ठीक नहीं कराए गये टेलीफोनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा हाल में दिये गये निर्णय के अनुरूप कोई मुआवजा-राशि देने के संबंध में कोई पहल की जा रही है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) शिकायत करने के बाद 48 घंटों के भीतर खराब टेलीफोन ठीक कर दिए जाने चाहिए यदि विभागीय कारणों से टेलीफोन 7 दिन से अधिक समय तक खराब रहता है तो संबंधित उपभोक्ताओं को किराये की छूट दी जाती है।

(ख) ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) उपभोक्ता मंच विशिष्ट शिकायतों को देखता है जिनकी जांच वह अपनी मैरिट के आधार पर करके उनका न्यायनिर्णय करते हैं। उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जाता है और जहां कहीं भी निर्णय में कोई कमजोरी महसूस की जाती है, उसके संबंध में अपील विधि संबंधी सलाह प्राप्त करने के बाद यथास्थिति राज्य आयोग (स्टेट कमीशन)/राष्ट्रीय आयोग (नेशनल कमीशन) को दायर की जाती है।

विवरण

क्र०सं०	टेलीफोन नम्बर	बुकिंग की तारीख	क्लेयरेंस की तारीख
	साउथ एक्सटेंशन पार्ट-I		
1.	4648448	9.12.96	18.12.96
2.	4622665	21.12.96	27.12.96
3.	4691742	19.12.96	2.1.97
4.	4624308	18.1.97	26.1.97
5.	4601497	10.1.97	26.1.97
6.	4693996	20.1.97	27.1.97
7.	4611864	20.1.97	28.1.97
8.	4635753	20.1.97	28.1.97
9.	4649282	19.1.97	29.1.97
	साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II		
1.	6442798	15.1.97	25.1.97
2.	6444810	13.1.97	22.1.97